राष्ट्रीय लोक अदालत "न्याय आपके द्वार 2016"

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नागौर

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र 18 / 2016

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. मोहम्मद इमरान पुत्र मोहम्मद इकबाल 2. मोहम्मद इकबाल पुत्र मोहम्मद कासम जातियान मुसलमान निवासी कुम्हारी तहसील व जिला नागौर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251 (ए) आर.टी.एक्ट

आदेश

दिनांक :– 08.06.2016

प्रार्थीगण की ओर से निम्न प्रार्थना पत्र इस्तदुआ की कि :–

1 यह है कि, प्रार्थीगण के सहखातेदारी का खेत खसरा नम्बर 231 रकबा 30.05 बीघा मौजा बापोड़ तहसील नागौर में स्थित है तथा उपरोक्त खेत के एकमात्र खातेदार प्रार्थीगण है।

2 यह है कि, प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 231 रकबा 30.05 बीघा मे आने जाने हेतु कभी भी कोई रास्ता नही रहा न ही कोई कटाणी रास्ता है। इतने वर्षो तक प्रार्थीगण पडोसियो के खेतो मे से उनकी सहमति से आते जाते है किन्तु अब पडोसी खेतो वालो ने उनके खेतो मे से होकर आने जाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया है। इस कारण प्रार्थीगण को अपने खातेदारी के उक्त खेत में आने जाने हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है।

3 यह है कि, प्रार्थीगण की खातेदारी के उक्त खेत खसरा नम्बर 231 के चिपते ही राजकीय भूमि खसरा नम्बर 231 गैर मुमकिन मगरा स्थित है उक्त राजकीय भूमि खसरा नम्बर 233 के चिपते ही दक्षिणी तरफ कटाणी रास्ता मौजूद है उक्त कटाणी रास्ता मौजूद है। उक्त कटाणी रास्ता ही प्रार्थीगण के खेत के सबसे नजदीकी रास्ता है इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नही है।

4 यह है कि, प्रार्थीगण की खातेदारी के उक्त खेत में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 232 के पूर्वी के सहारे–सहारे खसरा नम्बर 233 राजकीय भूमि मे से 30 फुट चौड़ा रास्ता जो आवेदन के साथ प्रस्तुत ट्रेस नक्शे में मार्क AB से दर्शित किया गया है। उक्त रास्ता मार्क AB ही प्रार्थीगण के खेत में आने जाने हेतु सबसे नजदीकी रास्ता है। इस कारण खसरा नम्बर 232 की पूर्वी माढ के सहारे सहारे खसरा नम्बर 233 राजकीय भूमि मे से ट्रेस नक्शे में दर्शित मार्क A से B रास्ता घोषित कर दिलवाया जावे। उक्त रास्ते के पेटे प्रार्थीगण नियमानुसार शुल्क जमा कराने को तैयार है।

5 यह है कि, वादग्रस्त खेताय मौजा बापोड़ तहसील व जिला नागौर में स्थित है इस कारण उक्त आवेदन न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

6 यह है कि, अन्य उजरात पर वक्त बहस अर्ज किए जायेगे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थी का नोटिस बाद तामील शामिल पत्रावली है।

तहसीलदार नागौर से बिन्दुवार जांच रिपोर्ट तलब की गई जो दिनांक 09.03.2016 को प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है।

मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने अपनी बह सपे बताया कि प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 231 रकबा 30.05 बीघा में आने जाने हेतु उक्त खसरा के चिपते ही राजकीय भूमि खसरा नम्बर 233 किस्म गैर मुमकिन मगरा मे से 30 फुट चौड़ा रास्ता प्रस्तुत नक्शे में मार्क A से B तक दिलाया जावे एवं अपनी बहस के समर्थन में राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर द्वारा जारी परिपत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की जिसका अवलोकन किया गया। तहसीलदार नागौर ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 231 में कोई कटाणी रास्ता नही लगता है। प्रस्तावित रास्ते पर फसल पेड़ पौधे नही है तथा किसी प्रकार का निर्माण

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

भी नही है। प्रस्तावित रास्ता ग्रामीण ग्रेवल सड़क से मिलता है।

उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 231 में आने जाने हेतु राजकीय भूमि पर खसरा नम्बर 233 किस्म गैर मुमकिन मगरा भू.अ.नि. भाकरोद की रिपोर्ट एवं संलग्न नक्शे में दर्शाये अनुसार रास्ते की A से B की लम्बाई 232 फुट एवं चौड़ाई 30 फुट के अनुसार रास्ते का रकबा 6960 वर्गफुट यानि 8 बिस्वा भूमि रास्ते के रूप में घोषित की जाती है। ग्राम बापोड में असिंचित भूमि की DLC Rate 23250/- रूपये प्रति बीघा के हिसाब से उक्त रास्ते की 8 बिस्वा की कीमत 9300/- रूपये की दुगुनी दर 18600/- रूपये बनती है। जो प्रार्थी द्वारा तहसीलदार नागौर के कार्यालय में जमा करवाई जाने पर तहसीलदार नागौर उक्त 8 बिस्वा को गैर मुमकिन राजकीय भूमि के रूप में दर्ज करावे।

उक्त रास्ता सार्वजनिक उपयोग व उपभोग में रहेगा। तहसीलदार नागौर को रास्ता के रूप में 8 बिस्वा दर्ज करने के पश्चात उक्त 8 बिस्वा भूमि ग्राम बापोड के खसरा नम्बर 233 रकबा 28.12 बीघा किस्म गैर मुमकिन मगरा से कम कर दुरूस्त करावे। भू.अ.नि. भाकरोद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ नक्शा की प्रति तहसीलदार नागौर को आदेश के साथ भिजवाई जावे।

सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.) नागौर
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

आदेश दिनांक 08.06.2016 को मेरे द्वारा खुलवाया न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर